संख्या-544/2022/3137/41-2022-234 (सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 09 नवम्बर, 2022**

विषय:-जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4226/एसएस/हेलीपोर्ट मॉनीटरिंग/95 दिनांक 10 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. विपुल पर्यटन-सम्पदाओं एवं असीम पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के बहुआयामी महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों/आकर्षणों और पर्यटन सम्भावनाओं के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही पर्यटकों के सुविधार्थ अन्तराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है ताकि यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। इस क्रम में जनपद आगरा एवं मथुरा प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण वर्षपर्यन्त देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों को वायु सेवा से जोड़ने हेतु हेलीपोर्ट के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम चरण में प्रदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों यथा-आगरा एवं मथुरा में हेलीपोर्ट के पी0पी0पी0 मोड पर संचालन की पहल की गयी है।

3. आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड़) पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों को लीज पर विकसित कर संचालित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19-04-2022 में लिये गये निर्णयोपरान्त पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-268/2022/आई/159173 /41-1099/116 /2021-165(सा0)/2021 दिनांक 25 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन विभाग ने जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु निविदाकर्ता (बिडर्स) को शार्टलिस्ट किये जाने हेतु आर0एफ0क्यू0 की ई-निविदा दिनांक 04-08-2022 को उत्तर प्रदेश पी0पी0पी0 गाइडलाइन-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2016 (संशोधित गाइडलाइन-2018) के पैरा 2.5 पर गठित सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति की उप समिति (Sub-committee of Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के सदस्यों के समक्ष खोली गयी। इस क्रम में पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यवृत्त दिनांक 16 अगस्त, 2022 के माध्यम से उपरोक्त उप समिति द्वारा आर.एफ.क्यू की ई-निविदा में प्राप्त 05 रिस्पॉन्शिव निविदाकर्ता (बिडर्स) को शार्टलिस्ट करते हुए आर.एफ.पी. की ई-निविदा सम्बन्धी अग्रतर कार्यवाही किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0-रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वैल्यूम-I: इन्स्ट्रक्शन टू बिडर्स, वैल्यूम-II: ड्राफ्ट डेवलपमेण्ट एग्रीमेंण्ट एवं वैल्यूम- III: ड्राफ्ट सेड्यूल्स टू डेवलपमेंण्ट एग्रीमेंण्ट (RFP/DCA-Request for Proposal Volume-1: Instruction to Bidders, Volume-II : Draft Development Agreement and Volume-III: Draft Schedules to Development Agreement) तथा 05 शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) 1. ओ.एस.एस. एयर मैनेजमेण्ट प्रा.लि. (OSS Air Management Pvt.Ltd) 2. राजस एयरोस्पोर्ट्स एवं एडवेन्चर्स प्रा.लि. (Rajas Aerosports and Adventures Pvt.Ltd) 3. शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रा.लि. (Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd) 4. फ्लाईब्लेड इण्डिया प्रा.लि. (Flyblade India Pvt.Ltd) 5. शेरिशा टेक्नोलॉजीस् प्रा.लि. (Sherisha Technologies Pvt.Ltd) पर दिनांक 22.08.2022 की बैठक में सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के अनुमोदनोपरान्त तथा अवस्थापना विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-3/2018/260/83-अव0-2018-34(अव0)/2013 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी0पी0पी0 परियोजनाओं के संबंध में जारी ''गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश-2016'' (संशोधित गाइडलाइन-2018) के चैप्टर-3 Process Flow chart for Development of Project on PPP के पैरा 3.3 Selection of Developer के अनुसार निविदा प्रपत्रों पर मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव किया गया।

5. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा एवं मथुरा में पर्यटन विकास के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट को पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0-रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वैल्यूम-I: इन्स्ट्रक्शन टू बिडर्स, वैल्यूम-II: ड्राफ्ट डेवलपमेण्ट एग्रीमेंण्ट एवं वैल्यूम-III: ड्राफ्ट सेड्यूल्स टू डेवलपमेंण्ट एग्रीमेंण्ट (RFP/DCA -Request for Proposal Volume-1: Instruction to Bidders, Volume-II : Draft Development Agreement and Volume-III : Draft Schedules to Development Agreement) पर अनुमोदन एवं उपरोक्त 05 शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) 1. ओ.एस.एस. एयर मैनेजमेण्ट प्रा.लि. (OSS Air Management Pvt.Ltd) 2. राजस एयरोस्पोर्ट्स एवं एडवेन्चर्स प्रा.लि. (Rajas Aerosports and Adventures Pvt.Ltd) 3. शौर्य एयरोनॉटिक्स प्रा.लि. (Shaurya Aeronautics Pvt. Ltd) 4. फ्लाईब्लेड इण्डिया प्रा.लि. (Flyblade India Pvt.Ltd) 5. शेरिशा टेक्नोलॉजीस् प्रा.लि. (Sherisha Technologies Pvt.Ltd) के मध्य निविदा कराये जाने का निर्णय निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा लिया गया है:-

(1) परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) इस संबंध में प्रचलित/सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त निर्णय के क्रियान्वयन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स-2016 (संशोधित) में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुपालन में किसी विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(4) हेलीपोर्ट को विकसित व संचालित किए जाने के सम्बन्ध में नियामक संस्थाओं यथा नागर विमानन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0), भारत सरकार तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी0सी0ए0एस0), भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों (guidelines) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) हेलीपोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिस बल (सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा इत्यादि हेतु तैनात) पर वहन होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धति फर्म/फर्मों के द्वारा किया जायेगा।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/गृह विभाग/ नागरिक उड्डयन विभाग/ नियोजन विभाग/ औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
7- जिलाधिकारी, आगरा/मथुरा।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, आगरा।
9- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in